157

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 2598–दो/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना – प्रकरण क्रमांक 67 अ 12/2014–15

1– नवल किशोर जायसवाल पुत्र रामकिशोर
आर.के.पावर ड्राइक्लीनर्स के
सामने गांधी चौक सतना
2– श्रीमती मिथलेश जायसवाल पत्नि सुरेश कुमार
3– अमित कुमार 4– विकास कुमार जायसवाल
दोनों पुत्रगण स्व.सुरेश कुमार निवासी मेघदूत
होटल के सामने लालता चौकर सतना ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– शरदकुमार श्रीवास्तव 2– सतीशकुमार श्रीवास्तव
पुत्रगण चन्द्रकाश श्रीवास्तव साकिन टिकुरिया
टोला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2– मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 25–07–2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 67 अ 12/2014–15में पारित आदेश दिनांक 6–7–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक के आवेदन पर उनके स्वामित्व की मौजा डेलौरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 103/1/1क/1क रकबा 0.141 हैक्टर का राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकार आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है । तहसीलदार, रघुराजनगर ने आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्रमांक 67 अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 6-7-15 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2/ आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन पर उनके स्वामित्व की मौजा डेलौरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 103/1/1क/1क रकबा 0.141 हैक्टर का राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकार आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है । तहसीलदार, रघुराजनगर ने आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्रमांक 67 अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 6-7-15 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है । विचार योग्य है कि जब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति

प्रस्तुत कर पक्ष रखने का आवेदकगण को समुचित अवसर मिल चुका है तब उनके द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष यह आपत्ति करना कि सीमांकन गलत करते हुये उनकी भूमि को प्रभावित किया गया है, माने जाने योग्य नहीं है। यदि आवेदकगण किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदकगण की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 67 अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 6-7-15 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर